FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0012 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 12/01/2026 15:56 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 05/01/2026 **Date To (दिनांक तक):** 09/01/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 12:05 बजे **Time To (समय तक):** 11:20 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 12/01/2026 **Time (समय):** 15:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 12/01/2026 15:56:26 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH, 3 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** KARYALAY ADHIKSHAN ABHIYANTA KA CHAMBER, KARYALAY JAN SWASTHYA ABHIYANTRIKI VIBHAG, VRAT JHALAWAR, PRATHAM TAL PAR STHIT

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम):

District(State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** RAMCHANDRA DHIMAN

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** CHHEDILAL DHIMAN

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1988 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	WARD NO 16, SANJAY COLONY , JHALAWAR, Kotwali Jhalawar, JHALAWAR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	WARD NO 16, SANJAY COLONY , JHALAWAR, Kotwali Jhalawar, JHALAWAR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	VISHNU CHAND GOYAL		पिता:PYARELAL GOYAL	1. 83 B,SHASTRI NAGAR,DADABARI KOTA,DADABARI,KOTA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सामान	मोबाइल फोन	एक आईफोन मोबाईल एक्स आर एप्पल कम्पनी कीमत करीब 84,000	

1	इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सामान	मोबाइल फोन	रूपये	

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय,हालात् घटना क्रम इस प्रकार है कि दिनांक 05.01.2026 समय 12.05 पीएम पर परिवादी श्री रामचन्द्र धिमान पुत्र श्री छेदीलाल जाति धिमान निवासी संजय कॉलोनी वार्ड नं. 16 झालावाड़ जिला झालावाड़ (राज0) मो.न. ने ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ में उपस्थित होकर एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र, मय स्वप्रमाणित आधार कार्ड की फोटोप्रति के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो झालावाड़ के नाम, रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकड़वाने बाबत् पेश किया था। श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रेरणा शेखावत द्वारा परिवादी श्री रामचन्द्र धिमान द्वारा पेश प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया। परिवादी ने मजीद दरियाफ्त में प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्य सही होना बताया तथा प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा लिखा जाकर अपने हस्ताक्षर करना बताया तथा प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि "प्रार्थी का जलदाय विभाग खण्ड झालावाड़ में हैंडपम्प रिपेयरिंग और लैबर सप्लाई और पाईप लाईन लीकेज रिपेयरिंग का कार्य किये जा रहे है। मैं मां विंध्यावासनी फर्म का प्रोपराईटर हूं। पूर्व में मेरे द्वारा लेबर व हैंण्डपम्प के बिल फर्जी बनवाने का आरोप लगाकर एस ई साहब ने मुझे धमकाया। मुझसे पच्चीस हजार रूपये अगस्त में भी ले लिए। मेरे काम में गलतियां निकालकर डी.बार करने की व काम से हटाने की धमकी देता है। इसके लिए मेरे भाईसाहब व पार्टनर गुलाब को एस ई साहब ने फोन करके मुझे मिलने के लिए बुलाया। पिछले छः माह से मुझसे आईफोन की मांग कर रहा है। मैं विष्णु गोयल जी से मिला तो उन्होने प्रार्थी से कहा आपका बिल पास तो हो जायेगा लेकिन आपको मुझे आईफोन 16 प्रो देना ही पडे़गा। प्रार्थी ने एस ई साहब विष्णु चन्द गोयल से निवेदन किया कि सर यह फोन तो लगभग एक लाख पचास हजार का आता है। मैं कहां से लाउंगा और मेरा कार्य भी ईमानदारी का है, और कोई गलती भी नही है, तो उन्होने कहां कि यह तो आपको देना ही पडे़गा, यह तो सभी करते है, अगर बिल पास कराने है और आगे काम करना है तो। फिर मैनें डर के मारे उनसे कहां कि साहब करता हूं। इस प्रकार जलदाय विभाग एसई साहब विष्णु चन्द गोयल जी को मेरे जायज काम के लिए के लिए आईफोन 16 प्रो, जो कि लगभग एक लाख पच्चास हजार रूपये का आईफोन 16 प्रो रिश्वत में नही देना चाहता हूं। उन्हे रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं। मेरी एस ई साहब विष्णु चन्द गोयल से कोई रंजिश नही है, ना ही कोई लेनदेन बकाया है। मेरी रिपोर्ट पर कार्यवाही करे।" परिवादी श्री रामचन्द्र धिमान द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र के संलग्न वर्क ऑर्डर कागजात व मजमून दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) की धारा 7 की परिधि में आना पाया जाने पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा परिवादी श्री रामचन्द्र धिमान को आरोपी श्री विष्णु चन्द गोयल अधीक्षण अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग खण्ड झालावाड़ के पास भिजवाया जाकर रिश्वत की मांग में आईफोन मोबाईल लेने का गोपनीय सत्यापन करवाने बाद सत्यापन जैसी स्थिति बनेगी, तदानुरूप अग्रिम कार्यवाही का निर्णय लिया जाकर समय 12.20 पीएम पर कार्यालय में उपस्थित मन् साजिद खान पुलिस निरीक्षक को श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा अपने चैम्बर मे बुलवाया गया तथा चैम्बर में उपस्थित परिवादी श्री रामचन्द्र धिमान से मेरा परस्पर परिचय करवाकर, उसके द्वारा पेश प्रार्थना पत्र पर मेरे नाम मार्क कर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश देकर प्रार्थना पत्र सुपुर्द किया गया। समय 12.50 पीएम पर मन् साजिद खान पुलिस निरीक्षक भ्रनिब्यूरो झालावाड़ परिवादी श्री रामचन्द्र धिमान द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र व परिवादी को साथ लेकर अपने कक्ष में आया। परिवादी से दरयाप्त पर वार्तालाप कर उसके प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। परिवादी श्री रामचन्द्र धिमान द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र व मजमून दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) की धारा 7 की परिधि में आना पाया जाने पर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से कक्ष मे मौजूद परिवादी से रिश्वत के रूप में मोबाईल आईफोन आरोपी श्री विष्णु चन्द गोयल अधीक्षण अभियन्ता को देने से सम्बंधित वार्ता का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु समझाईस की गई। इस पर परिवादी श्री रामचन्द्र धिमान ने बताया कि आज श्री विष्णु चन्द गोयल किसी काम से बाहर गये हुये है। अतः आज रिश्वत लेने सम्बंधि बातचीत नही हो पायेगी। मैं एक दो दिन में आपके कार्यालय में उपस्थित होकर या मोबाईल पर आपको अवगत करा दूंगा। अतः परिवादी के बतायेनुसार आज आरोपी श्री विष्णु चन्द गोयल अधीक्षण अभियन्ता उसके कार्यालय में उपस्थित नही है। जिस

कारण गोपनीय सत्यापन की कार्यवाही किया जाना सम्भव नही है। परिवादी के बतायेनुसार आईन्दा गोपनीय सत्यापन करवाया जाने का निर्णय लिया गया। दिनांक 07.01.2026 समय 10.40 एएम पर परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि एस ई साहब जयपुर से आ गये है, मैं फोरेस्ट रोड़ झालावाड़ पर स्थित मंशापूर्ण बालाजी के पास मिल जाउंगा। आप डिजिटल वाईस रिकॉर्डर लेकर रिकॉर्डिंग हेतु कार्यालय से किसी को भिजवा दो। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने कार्यालय मालखाना में रखे हुए डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर IC RECORDER ICD-UX523F SONY CORP. BATT 1.5VX1 LR03 SIZE AAA :: 5V MADE IN CHINA HECHO EN CHINA को श्री देवदान सिंह कानि 425 से निकलवाया जाकर उसमें मेमोरी कार्ड लगाकर चैक कर श्री शीशराम कानि 126 को सुपुर्द कर परिवादी द्वारा बुलाये गये स्थान पर जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश देकर फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मुर्तिब कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कार्यालय से रवाना किया गया। समय 12.05 पीएम पर श्री शीशराम कानि0 नं0 126 मय परिवादी श्री रामचन्द्र धिमान के ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया। श्री शीशराम कानि द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर IC RECORDER ICD-UX523F SONY CORP. BATT 1.5VX1 LR03 SIZE AAA :: 5V MADE IN CHINA HECHO EN CHINA मय मेमोरी कार्ड पेश किया। परिवादी श्री रामचन्द्र धिमान ने बताया कि गोपनीय सत्यापन हो चुका है। श्री विष्णु चन्द गोयल अधीक्षण अभियन्ता ने मेरे बकाया बिल पास करने की एवज में रिश्वत के रूप में आईफोन प्रो मोबाईल की मांग की है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री शीशराम कानि से पूछने पर उसने बताया कि मैं कार्यालय से रवाना होकर मंशापूर्ण बालाजी फोरेस्ट रोड़ झालावाड़ पहुंचा जहां मुझे परिवादी श्री रामचन्द्र धिमान मौजूद मिले, मैने इनको डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू व बन्द करने का तरीका समझाया तथा वहां से अपनी-अपनी मोटरसाईकिलों से रवाना होकर कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांन्त्रिकी विभाग झालावाड़ के पास पहुंचे। जहां गोपनीय सत्यापन हेतु डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी को सुपुर्द कर, आरोपी से वार्ता हेतु रवाना कर दिया था। मैं भी इनके पीछे-पीछे पीएचईडी कार्यालय के बाहर ही अपनी उपस्थिति छुपाकर परिवादी को देख रहा था। परिवादी लगभग 15 मिनट बाद पीएचईडी कार्यालय से बाहर आया, हम दोनो कुछ दूरी पर चलकर एकान्त में गये जहां परिवादी ने मुझे डिवीआर सुपुर्द कर हालात बताये। मैने डिवीआर को बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा तथा वहां से रवाना होकर हम दोनो कार्यालय में आये है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल वाईस को कार्यालय लेपटॉप में लगवाकर चैक किया गया तो वार्ता मेमोरी कार्ड में सेव होना नही पाई गई, वार्ता ब्यूरो कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर IC RECORDER ICD-UX523F SONY CORP. BATT 1.5VX1 LR03 SIZE AAA :: 5V MADE IN CHINA HECHO EN CHINA के फोल्डर 02 में फाईल नं. 01 में सेव होना पाई गई। इस पर मेमोरी कार्ड को डिवीआर से बाहर निकालकर अलग रखा गया तथा डीवीआर को कार्यालय के लेपटॉप में लगाकर रिकॉर्डेड वार्ता को सुना गया तो परिवादी व श्री शीशराम कानि द्वारा बताये गये कथनो की पुश्टि होना व गोपनीय सत्यापन होना पाया गया। डीवीआर को जरिये शीशराम कानि के सुपुर्द कर सुरक्षित मालखाना में रखने की हिदायत दी गई। सम्पूर्ण हालात श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया को निवेदन किये गये। परिवादी श्री रामचन्द्र धिमान को आरोपी श्री विष्णु चन्द गोयल की मांग अनुसार रिश्वत के रूप में दिये जाने वाले आईफोन मोबाईल की व्यवस्था कर षुक्रवार तक कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर मामले की गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर रूकसत किया गया। आईन्दा परिवादी श्री रामचन्द्र धिमान के कार्यालय में उपस्थित होने पर दो स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति में डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्डेड वार्ता को ब्यूरो कार्यालय के लेपटाप में डालकर सुना जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता मुर्तिब की जाने का निर्णय लिया गया। दिनांक 08.01.2026 समय 02.00 पीएम पर परिवादी के बताये अनुसार कल दिनांक 09.01.2026 को ट्रेप कार्यवाही की सम्भावना होने के कारण स्वतंत्र गवाहान को पाबन्द किया जाना आवश्यक है। अतः जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, झालावाड़ के नाम कार्यालय पत्रांक 42 दिनांक 08.01.2026 मुर्तिब कर दो स्वतंत्र गवाह दिनांक 09.01.2026 को समय 08.00एएम तक ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने हेतु, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया झालावाड़ द्वारा हस्ताक्षरित पत्र श्री देवदान सिंह कानि 425 को सुपुर्द कर गवाह पाबन्द करने हेतु शिक्षा विभाग झालावाड़ रवाना किया गया। समय 03.30 पीएम पर श्री देवदान सिंह कानि 425 कार्यालय में उपस्थित आया तथा कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा झालावाड़ का पत्रांक 320 दिनांक 08.01.2026 मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष पेश किया गया। जिसका अवलोकन करने पर स्वतंत्र गवाह श्री सतीश चन्द शर्मा, प्रशासनिक अधिकारी निवासी सुभाश कॉलोनी झालावाड़ मो.न. व श्री पवन कुमार गुर्जर, कनिष्ठ लेखाकार, निवासी गुर्जर मोहल्ला झालरापाटन जिला झालावा़ड़ मो.न. होना पाया गया। श्री देवदान सिंह कानि ने बताया कि दोनो स्वतंत्र गवाह कल दिनांक 09.01.2026 को प्रातः काल 08.00 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर दिया गया है। पत्र को शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 09.01.2026 समय 08.15 एएम पर कार्यालय हाजा में पूर्व से तलविदा दो स्वतंत्र गवाहान कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा झालावाड से उपस्थित आये, जिनको मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा अपना परिचय देकर उनका नाम पता पूछा गया तो एक ने अपना नाम श्री सतीश चन्द शर्मा पुत्र श्री स्व. श्री कृष्ण गोपाल शर्मा जाति ब्राह्मण उम्र 55 वर्ष निवासी मकान न. 05 ड्रीम सिटी, राधा रमण प्रागण के पीछे झालावाड़ हाल प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी

(मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा झालावाड मो.न. व दूसरे अपना नाम श्री पवन कुमार गुर्जर पुत्र स्व. श्री बालचन्द गुर्जर जाति गुर्जर उम 27 वर्ष निवासी गुर्जर मोहल्ला झालरापाटन जिला झालावा़ड हाल कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा झालावाड मो. न. होना बताया। जिनको मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा समझाईस कर कार्यालय में बैठाया गया। दिनांक 09.01.2026 समय 08.20 एएम पर परिवादी श्री रामचन्द्र धिमान ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया व मन् पुलिस निरीक्षक को अवगत कराया कि वह अपने साथ दिनांक 07.01.2026 को आरोपी श्री विष्णु चन्द गोयल अधीक्षण अभियन्ता से हुई वार्तानुसार उन्होने मुझ से रिश्वत के रूप में एक आईफोन मोबाईल की मांग की थी। मैं उनकी मांग अनुसार एक मोबाईल आईफोन एक्स आर एप्पल कम्पनी का लेकर आया हूं। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी का ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री सतीश चन्द शर्मा व श्री पवन कुमार गुर्जर से परस्पर परिचय कराया गया। परिवादी श्री रामचन्द्र धिमान द्वारा दिनांक 05.01.2026 को ब्यूरो कार्यालय में पेश किया गया प्रार्थना पत्र रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाने बाबत् पढ़कर सुनाया गया। इस पर दोनों स्वतंत्र गवाहान ने प्रार्थना पत्र को पढ़कर व परिवादी से वार्तालाप कर परिवादी द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये तथा ट्रेप कार्यवाही में सहयोग हेतु साथ रहने की अपनी-अपनी सहमति दी। दिनांक 09.01.2026 समय 08.30 एएम पर परिवादी श्री रामचन्द्र धिमान व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री सतीश चन्द्र शर्मा व श्री पवन कुमार गुर्जर की मौजूदगी में मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा निर्देश देकर श्री देवदान सिंह कानि से मालखाना में सुरक्षित रखे हुए डिजिटल वाईस रिकॉर्डर IC RECORDER ICD-UX523F SONY CORP. BATT 1.5VX1 LR03 SIZE AAA :: 5V MADE IN CHINA HECHO EN CHINA को निकलवाया गया। जिसके बारे में दोनों स्वतंत्र गवाह को समझाया गया कि दिनांक 07.01.2026 को परिवादी श्री रामचन्द्र धिमान की आरोपी श्री विष्णु चन्द गोयल अधीक्षण अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग खण्ड झालावाड़ से रिश्वत मांग की गोपनीय सत्यापन वार्ता हो चुकी है। आरोपी श्री विष्णु चन्द गोयल ने रिश्वत में मोबाईल आईफोन की मांग की है। जो डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में फोल्डर 02 में फाईल नं. 01 पर सेव है। श्री देवदान सिंह कानि0 425 को निर्देश देकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में सेव फोल्डर 02 में फाईल नं. 01 से उक्त वार्ताओं को कार्यालय के लेपटॉप में लिवाकर। दिनांक 07.01.2026 को परिवादी एवं आरोपी श्री विष्णु चन्द गोयल के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को क्लीक कर दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष वार्ता को लेपटॉप में अलग से लगे स्पीकर ऑन कर वार्ता को सुनाया गया, उक्त वार्ता में आवाजों की पहचान कर परिवादी श्री रामचन्द्र धिमान ने एक आवाज स्वयं की व दूसरी आवाज आरोपी श्री विष्णु चन्द गोयल की होना बताया। मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देश न में श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 द्वारा हूबहू वार्ता की लेपटॉप से टाईप कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत के रूप में एक आईफोन मोबाईल की मांग सत्यापन वार्ता तैयार करवाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 09.01.2026 समय 10.30 एएम पर परिवादी श्री रामचन्द्र धिमान द्वारा आरोपी श्री विष्णु चन्द गोयल, अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, खण्ड झालावाड़ से हुई गोपनीय सत्यापन वार्ता में उसकी मांग अनुसार रिश्वत के रूप में दिया जाने वाला एप्पल कम्पनी का मोबाईल आईफोन एक्स आर मय व्हाईट ग्रे कवर बाक्स में रखा मन् पुलिस पुलिस निरीक्षक को सुपूर्द किया। मन् पुलिस निरीक्षक ने कवर बाक्स से मोबाईल को निकाल कर चैक किया तो कवर बाक्स में आई फोन 13 एप्पल कम्पनी, बरंग व्हाईट है, कवर बॉक्स में एक पीले रंग का बिल मिला जो विष्णु चरण जी गोयल बिल क्रमांक 280 दिनांक 08.01.2026 का ब्रांड नेम आईफोन एक्स आर, मॉडल एक्स आर 128 ईएमईआई प्रथम ईएमईआई द्वितीय है तथा बिल में मोबाईल का मूल्य 84,000/-रूपये अंकित किया हुआ है। बिल रसीद पर मोबाईल प्लानेट एड्रेस नियर गर्ल्स स्कूल मंगलपुरा झालवाड़ अंकित है। परिवादी श्री रामचन्द्र धिमान द्वारा प्रस्तुत मोबाईल आईफोन एक्स आर, कवर बॉक्स व खरीद बिल को मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी व सरकारी स्वतन्त्र गवाहान को दिखा कर श्री ईस्माईल अंसारी सउनि से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मालखाना से निकलवाकर मंगवाई गई। श्री ईस्माईल अंसारी सउनि को रिश्वत में दिये जाने वाले मोबाईल आईफोन एक्स आर, मोबाईल कवर बॉक्स, खरीद बिल को सुपुर्द कर उसके द्वारा ही मोबाईल आईफोन एक्स आर, मोबाईल कवर बॉक्स, खरीद बिल पर फिनोफ्थलीन पाउडर इस प्रकार लगवाया गया कि मोबाईल एक्स आर, मोबाईल कवर बॉक्स, खरीद बिल पर पाउडर की मौजूदगी प्रभावी व अदृश्य रहे तथा गवाह श्री सतीश चन्द शर्मा से परिवादी श्री रामचन्द्र धिमान की जामा तलाशी लिवायी जाकर उसके पास पहने हुये कपड़े व मोबाईल के अलावा कुछ भी नहीं रहने दिया। श्री ईस्माईल अंसारी सउनि के हाथों से मोबाईल कवर बॉक्स में खरीद बिल रसीद को फोल्ड कर रखवाई तथा उसके उपर मोबाईल आईफोन रखवाकर कवर को पूर्व की भांति ही पैक करवाया गया तथा मोबाईल को मय कवर बॉक्स के एक सफेद लिफाफे में रखवाकर उस पर भी फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाकर उसे गुरूकृपा मोबाईल मंगलपुरा सर्किल झालावाड़ शॉप की व्हाईट कलर की थैली में जिस पर लाल रंग से लिखा हुआ है। उक्त थैली में मोबाईल आईफोन को मय कवर बॉक्स मय सफेद लिफाफे के सीधे ही श्री ईस्माईल अंसारी सउनि से रखवाया गया। उक्त रिश्वत के रूप में दिये जाने वाले मोबाईल आईफोन को पैकिंग कवर बॉक्स मय लिफाफे में थैली में रखे सहित परिवादी श्री रामचन्द्र धिमान को हाथों में सम्भलाया गया। परिवादी को हिदायत दी गई की वह रिश्वत के रूप में दिये जाने वाले मोबाईल आईफोन को रास्ते में अनावश्यक लोगां को नही दिखाये व स्पर्श नही

करावे तथा आरोपी द्वारा मांगने पर ही रिश्वत के रूप में दिये जाने वाले आईफोन मोबाईल को कवर बॉक्स मय लिफाफा मय थैली सहित उसे देवें। परिवादी को हिदायत दी गयी कि आरोपी द्वारा रिश्वत के रूप में प्राप्त मोबाईल आईफोन को प्राप्त करने के पश्चात् कहां रखता अथवा छुपाता हैं का भी ध्यान रखें तथा आरोपी द्वारा मोबाईल आईफोन प्राप्त करने पर अपने स्वयं के सिर पर दोनों हाथ फेर कर या मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉल करें ताकि मन् पुलिस निरीक्षक एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों को रिश्वत के रूप में मोबाईल आईफोन लेने का पता चल जाये। दोनों स्वतन्त्र गवाहान व ट्रेप पार्टी के सदस्यों को भी हिदायत दी गई कि जहां तक सम्भव हो अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी द्वारा आरोपी को रिश्वत के रूप में मोबाईल आईफोन देने की प्रकिया को देखने एवं वार्तालाप को सुनने का प्रयास करें। इसके पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री ईस्माईल अंसारी सउनि से ही मालखाना में रखवाया गया। एक साफ प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में साफ पानी डलवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर मिलाकर घोल तैयार करवाने पर गिलास के घोल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। डिस्पोजल गिलास के उक्त रंगहीन घोल में मोबाईल आईफोन, कवर बॉक्स मय लिफाफा पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री ईस्माईल अंसारी सउनि के दाहिने हाथ की अंगुलियां को साडियम कार्बोनेट के पानी के घोल से भरे प्लास्टिक के डिस्पोजल में डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस तरह दोनों स्वतंत्र गवाहान् श्री सतीश कुमार शर्मा व श्री पवन कुमार गुर्जर एवं परिवादी श्री रामचन्द्र धिमान को दृष्टांत देकर समझाईश की गई कि जो भी व्यक्ति इन फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त मोबाईल आईफोन के कवर बॉक्स व लिफाफे के हाथ लगायेगा या छुयेगा तो उसके हाथों की अंगुलियों को सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में धुलवाने पर दोनों पाउडर के परस्पर मिश्रण से घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो जायेगा, जिससे यह जाहिर होगा कि उसने फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त मोबाईल आईफोन के कवर बॉक्स मय लिफाफे को प्राप्त किया है या छुआ है। इसके पश्चात् श्री ईस्माईल अंसारी सउनि के द्वारा ही डिस्पोजल गिलास में दृष्टान्त के उपयोग में लिये गये गुलाबी घोल को बाथरूम के वॉश बेसिन में डलवाकर नष्ट करवाया गया तथा प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास को व फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने में काम में लिये गये अखबार को जलवाकर नष्ट करवाया गया। अन्य प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासों, चम्मच, खाली पव्वों ट्रेप सामग्री किट इत्यादि को भी साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह धुलवाये जाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाये गये। श्री ईस्माईल अंसारी सउनि एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यगणों के दोनों हाथों को भी साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। इसके पश्चात् परिवादी को छोड़कर समस्त पार्टी के सदस्यगणों की अपनी-अपनी आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तथा ट्रेप दल में ब्यूरो स्टाफ के पास स्वयं के विभागीय परिचय पत्र रहने दिये गये, किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु अथवा राशि नहीं रहने दी गई। परिवादी द्वारा रिश्वत के रूप में मोबाईल आईफोन देने की प्रकिया के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु एक डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के रख रखाव व संचालन की विधि पुनः समझाकर परिवादी श्री रामचन्द्र धिमान को सुपुर्द किया गया। उक्त दृष्टांत कार्यवाही की पृथक से फर्द प्राप्ति एवं सुपुर्दगी रिश्वत के रूप में दिय जाने वाला एक मोबाईल आईफोन एक्स आर देने की प्रक्रियां एवं दृष्टान्त मुर्तिब की जाकर हाजरिन को पढ़कर सुनाई गई, सुन समझ सही मान सम्बंधित ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। दिनांक 09.01.2026 समय 10.40 एएम पर परिवादी श्री रामचन्द्र धिमान ने बताया कि आरोपी श्री विष्णु चन्द गोयल अधीक्षण अभियन्ता ने आज मुझसे आईफोन मोबाईल देने की कहा था, आफिस टाईम हो गया है, वह आफिस आ गये होंगे। इस पर परिवादी श्री रामचन्द्र धिमान को उसकी मोटरसाईकिल से तथा उसके पीछे-पीछे मन् पुलिस निरीक्षक साजिद खान, श्री देवदान सिंह कानि 425 के साथ उसकी मोटरसाईकिल से तथा श्री शीशराम कानि 126, श्री गोपाल लाल सउनि, श्री शिवराज कानि 166, दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री सतीश चन्द्र शर्मा व श्री पवन कुमार गुर्जर पृथक-पृथक मोटरसाईकिलों से कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग खण्ड झालावाड़ के लिए रवाना हुये तथा हमारे पीछे-पीछे श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया डॉ. प्रेरणा शेखावत ट्रेप कार्यवाही में इमदाद हेतु मय श्री मोहम्मद आफाक सउनि मय ट्रेप बॉक्स एवं ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाली सामग्री सहित सरकारी बोलेरो मय चालक श्री छोटूलाल न. 534 के कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग खण्ड झालावाड़ के लिए रवाना हुये। श्री ईस्माईल अंसारी सउनि को कार्यालय में ही छोडा गया। समय 10.48 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक साजिद खान मय एसीबी जाब्ता, स्वतंत्र गवाहान के कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग खण्ड झालावाड़ के पास पहुंचे परिवादी श्री रामचन्द्र धिमान सीधा ही मोटरसाईकिल से कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग खण्ड झालावाड़ में प्रवेश कर गया। मन् पुलिस निरीक्षक स्वतंत्र गवाहान एवं एसीबी जाब्ता परिवादी के ईशारे की प्रतिक्षा में पीएचईडी कार्यालय के आस-पास अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुये मुकिम हुये। समय 11.20 एएम पर परिवादी श्री रामचन्द्र धिमान ने कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग वृत झालावाड़ के मैन गेट से बाहर आकर कोटा झालावाड़ मैन रोड़ के विपरित साईड में खड़े मन् पुलिस निरीक्षक की ओर मफलर उतारकर रिश्वत के रूप में मोबाईल आईफोन एक्स आर एप्पल कम्पनी का आरोपी को देने का ईशारा किया। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं एसीबी जाब्ते को अपने पीछे-पीछे आने का ईशारा कर परिवादी के पास पहुंचा। परिवादी से पूछने पर उसने बताया कि मैने एस ई साहब श्री विष्णु चन्द गोयल जी के कहने पर मोबाईल आईफोन उनकी टेबल की दराज में रख दिया है। एस ई साहब अपने चैम्बर में बैठे हुये है। हम दोनो के मध्य जो भी

वार्ता हुई है, वह मैने आप द्वारा सुपुर्द डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर ली हैं। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को परिवादी से लेकर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा गया, तथा परिवादी, दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं एसीबी जाब्ता को साथ लेकर प्रथम तल पर स्थित अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी वृत झालावाड़ के चैम्बर में पहुंचा जहां पर टेबल के सामने ग्रे कलर का कोट पहने अफसर कुर्सी पर बैठे हुये व्यक्ति की ओर ईशारा कर मन् पुलिस निरीक्षक को परिवादी ने बताया कि यही एस ई साहब विष्णु चन्द गोयल जी है जिनको अभी-अभी कुछ समय पहले मैंने दिनांक 07.01.2026 को हुई इनकी रिश्वत मांग अनुसार एक मोबाईल आईफोन एक्स आर एप्पल कम्पनी का इनके ईशारा करने पर अपनी टेबल की दराज में मुझसे रखवाया है। चैम्बर में दो अन्य व्यक्ति भी बैठे हुये थे। मन् पुलिस निरीक्षक ने अफसर टेबल कुर्सी पर बैठे हुये व्यक्ति को अपना परिचय देकर उनका नाम पता पूछा तो उन्होने अपना नाम विष्णु चन्द गोयल पुत्र श्री प्यारेलाल गोयल उम्र 57 वर्ष जाति महाजन निवासी 83बी, शास्त्री नगर दादाबाड़ी कोटा हाल अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग वृत झालावाड़ होना बताया। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री रामचन्द्र धिमान से अभी-अभी मोबाईल आईफोन लेने के सम्बंध में विष्णु चन्द गोयल अधीक्षण अभियन्ता से पूछा तो अनभिज्ञता जाहिर की। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाह श्री सतीश चन्द्र शर्मा से आरोपी की टेंबल की दराज खुलवाकर चैक करवाई गई तो एक सफेद लिफाफे में एप्पल कम्पनी का मोबाईल आईफोन एक्स आर मय व्हाईट ग्रे कवर बाक्स में पीले रंग का बिल क्रमांक 280 दिनांक 08.01.2026 का ब्रांड नेम आईफोन एक्स आर, मॉडल एक्स आर 128 ईएमईआई प्रथम :   ईएमईआई द्वितीय   तथा बिल में मोबाईल का मूल्य 84,000/-रूपये अंकित किया हुआ, बिल रसीद पर मोबाईल प्लानेट एड्रेस नियर गर्ल्स स्कूल मंगलपुरा झालवाड़ अंकित किया हुआ मिला जिसको फर्द प्राप्ति एवं सुपुर्दगी से मिलान करवाया गया तो हूबहू होना पाया गया तथा दराज मे अन्य कागजात भी रखे हुये थे। दराज में रखे हुये मोबाईल आईफोन के बारे में आरोपी श्री विष्णु चन्द गोयल अधीक्षण अभियन्ता से पूछने पर बताया कि रामचन्द्र उर्फ तन्नू का हमारे यहां पर सी क्लास में रजिस्ट्रेषन है। जो हमारे एक्स ई एन के पास ठेकेदारी का काम करता है। मेरी दराज में मोबाईल कैसे आया इसकी मुझे कोई जानकारी नही है। मुझे फंसाया गया है। बीएनएसएस की धारा 180 के तहत नया मेमोरी कार्ड लगाकर सरकारी मोबाईल फोन से समस्त पूछताछ को रिकॉर्ड किया गया। इस पर वही मौजूद परिवादी श्री रामचन्द्र धिमान ने आरोपी की बात का खण्डन करते हुये बताया कि एस ई साहब झूठ बोल रहे है। इन्होने मेरे से दिनांक 07.01.2026 को खुद अपने मुंह से आईफोन मोबाईल की मांग की थी, जिसकी रिश्वत मांग सत्यापन की रिकार्डिंग है, मैं आज इनकी मांग के अनुसार ही आईफोन मोबाईल लेकर आया था। इन्होने ईशारे से आईफोन मोबाईल को अपनी टेबल की दराज में रखने कंहा था। जिस पर मैनें मोबाईल को इनकी टेबल की दराज में रख दिया था। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देश पर श्री विष्णु चन्द गोयल का दाहिना हाथ श्री देवदान सिंह कानि 425 व बांया हाथ श्री शीशराम कानि 126 द्वारा कलाई के उपर से पकड़ाये गये। ट्रेप बॉक्स से एक प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास निकलवाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर उसमें पानी डालकर घोल तैयार करवाया गया तथा आरोपी श्री विष्णु चन्द गोयल अधीक्षण अभियन्ता के दाहिने हाथ की अगूंलियों व अगूंठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग मटमैला हो गया, जिनको हाजरिन को दिखाकर दो कांच की शीशीयों में आधा-आधा डालकर शिल्ड चस्पा मोहर किया जाकर मार्क आरएच-1 आरएच-2 अंकित कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे एसीबी लिये गये। इसके बाद एक दूसरे प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया घोल का रंग रंगहीन था उसमें आरोपी श्री विष्णु चन्द गोयल अधीक्षण अभियन्ता के बायें हाथ की अगूंलियों व अगूंठे को डूबोकर धुलवाया गया तो उक्त धोवन का रंग भी मटमैला हो गया, जिनको हाजरिन को दिखाकर दो कांच की शीशीयों में आधा-आधा भरकर शिल्ड चस्पा मोहर अंकित कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क एलएच-1, एलएच-2 अंकित किया जाकर कब्जे एसीबी लिया गया। आरोपी श्री विष्णु चन्द गोयल अधीक्षण अभियन्ता ने परिवादी श्री रामचन्द्र धिमान को ईशारा कर अपनी टेबल की दाहिनी तरफ की उपर की दराज में मोबाईल आईफोन एक्स आर, व्हाईट ग्रे कवर बाक्स मय सफेद लिफाफे के रखवाया था। उस स्थान का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से एक प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास निकलवाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर उसमें पानी डालकर घोल तैयार करवाया जाकर एक कपडे की चिन्दी को धोवन में गीला कर दराज में रगड़ कर धोवन लिया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिनको हाजरिन को दिखाकर दो कांच की शीशीयों में आधा-आधा डालकर शिल्ड चस्पा मोहर किया जाकर मार्क डी-1, डी-2 अंकित कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे एसीबी लिये गये तथा धोवन के काम में ली गई चिन्दी को भी बतोर वजह सबूत जब्त कर एक सफेद कपड़ा थैली में रखकर मार्क सी अंकित कर शिल्ड चिट किया गया तथा मोबाईल आईफोन एक्स आर एप्पल कम्पनी मय खरीद बिल सहित उसी व्हाईट ग्रे कवर बॉक्स में रखा जाकर एक सफेद लिफाफे में रखकर लिफाफे पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे एसीबी लिया गया। ट्रेप कार्यवाही की धोवन की कार्यवाही के दौरान सरकारी मोबाईल फोन एन्ड्रोएड में मेमोरी कार्ड लगाकर श्री शिवराज कानि 166 को निर्देश देकर विड़ियो रिकॉर्डिंग करवाई गई। जिसकी पृथक फर्द मुर्तिब की जावेगी। धोवन में काम में लिये गये प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासों को नष्ट करवाया गया। फर्द बरामदगी एक मोबाईल आईफोन एक्स आर एप्पल कम्पनी एवं हाथ धुलाई की विस्तृत फर्द तैयार कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। दिनाक

09.01.2026 समय 02.00 पीएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री विष्णु चन्द गोयल पुत्र श्री प्यारेलाल गोयल उम्र 57 वर्ष जाति महाजन निवासी 83बी, शास्त्री नगर दादाबाड़ी कोटा हाल अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग वृत झालावाड़ को उसके संवैधानिक अधिकारों से अवगत करवाकर मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी को बताया कि दिनांक 07.01.2026 को परिवादी श्री रामचन्द्र धिमान द्वारा आपके चैम्बर में रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप तथा आज दिनांक 09.01.2026 को आपके चैम्बर में वक्त रिश्वत के रूप में मोबाईल आईफोन लेते समय परिवादी श्री रामचन्द्र धिमान से आपकी वार्ता हुई थी, उक्त दोनों वार्ताओं को परिवादी श्री रामचन्द्र धिमान द्वारा उसको एसीबी झालावाड़ द्वारा सुपुर्द किये गये डिजिटल वाईस रिकॉर्डर/मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया था। जिसमें आपकी रिकॉर्डशुदा आवाज का विधि विज्ञान प्रयोगशाला से परीक्षण करवाने हेतु आरोपी को जरिये फर्द प्राप्ति नमूना आवाज नोटिस दिया गया तो, आरोपी श्री विष्णु चन्द गोयल ने फर्द पर ही स्वयं के हस्तलेख में लिखकर दिया कि "मैं अपनी आवाज का नमूना स्वैच्छा से अभी नहीं देना चाहता हूं" अंकित कर हस्ताक्षर किये। उक्त कार्यवाही की फर्द प्राप्ति नमूना आवाज नोटिस तैयार शुदा पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। समय 02.30 पीएम पर परिवादी श्री रामचन्द्र धिमान पुत्र श्री छेदीलाल जाति धिमान निवासी संजय कॉलोनी वार्ड नं. 16 झालावाड़ जिला झालावाड़ एवं आरोपी श्री विष्णु चन्द गोयल अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग झालावाड के मध्य रिश्वत के रूप में मोबाईल आईफोन एक्स आर एप्पल कम्पनी के लेनदेन के दौरान दिनांक 09.01.2026 को कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग झालावाड के चैम्बर में परस्पर वार्तालाप हुई थी। उक्त वार्ता को परिवादी श्री रामचन्द्र धिमान द्वारा उसको एसीबी द्वारा सुपुर्द सोनी कम्पनी डीवीआर मय मेमोरी कार्ड ¼Sandisk ultra micro @A1 SD HC1 16 GB½ में रिकॉर्ड किया गया था। उक्त डीवीआर मय मेमोरी कार्ड को लेपटॉप में लगाकर लेनदेन वार्ता दिनांक 09.01.2026 के फोल्डर को क्लीक कर दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष वार्ता को लेपटॉप में अलग से लगे स्पीकर ऑन कर वार्ता को सुनाया गया, उक्त वार्ता में आवाजों की पहचान कर परिवादी श्री रामचन्द्र धिमान ने एक आवाज स्वयं की व दूसरी आवाज आरोपी श्री विष्णु चन्द गोयल की होना बताया। वार्ता की हूबहू लेपटॉप से टाईप कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट वार्ता को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री देवदान सिंह कानि 425 को निर्देश देकर सुन-सुन कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट वक्त रिश्वत के रूप में मोबाईल आईफोन लेनदेन वार्तालाप तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 03.00 पीएम पर आरोपी श्री विष्णु चन्द गोयल अधीक्षण अभियन्ता पीएचईडी के रेस्टहाउस निमोदा रोड़ झालरापाटन में निवास करता है, निवास स्थान की खाना तलाशी लिया जाना आवश्यक होने से इस समय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया, डॉ. प्रेरणा शेखावत मय दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री सतीश चन्द्र शर्मा व श्री पवन कुमार गुर्जर मय जाब्ता श्री गोपाल लाल सउनि, श्री शिवराज कानि 166 मय सरकारी बोलेरो मय चालक श्री छोटूलाल न. 534 के पीएचडी रेस्ट झालरापाटन के लिए रवाना हुई। समय 03.45 पीएम पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया, डॉ. प्रेरणा शेखावत मय दोनो स्वतंत्र गवाहान मय जाब्ता के आरोपी के निवास स्थान की खाना तलाशी लेकर मय बोलेरा वाहन चालक के ट्रेप कार्यवाही स्थल पर पहुंची। समय 04.00 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशन में परिवादी श्री रामचन्द्र धिमान की निशानदेही पर दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री सतीश चन्द्र शर्मा व श्री पवन कुमार गुर्जर के समक्ष घटनास्थल का नजरी निरीक्षण कर नक्षा मौका घटनास्थल कशीद किया जाकर मूर्तिब किया गया, नक्षा मौका हाजरीन को दिखाया व समझाया गया, जिस पर हाजरीन ने सुन समझ देखकर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। मुर्तिबशुदा नक्षा घटनास्थल को शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 09.01.2026 समय 04.30 पीएम पर आरोपी श्री विष्णु चन्द गोयल पुत्र श्री प्यारेलाल गोयल उम्र 57 वर्ष जाति महाजन निवासी 83बी, शास्त्री नगर दादाबाड़ी कोटा हाल अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग वृत झालावाड को उपरोक्त कार्यवाही पर जुर्म धारा 7 पीसी एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत दंडनीय अपराध होने से आरोपी श्री विष्णु चन्द गोयल अधीक्षण अभियन्ता को धारा 35(3) बीएनएसएस के प्रावधानों के अनुसार गिरफ्तार किया जाना आवश्यक होने से उसके संवैधानिक अधिकारों की पूर्ण पालना करते हुये जरिये फर्द नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। आरोपी की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री सतीश चन्द्र शर्मा से लिवायी गयी तो आरोपी के कोट की जेब में 135 रूपये, बैग में रखे दो पर्सा में 1080 रूपये, स्वयं का आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, एयू बैंक का क्रेडिट कार्ड, दवाईयां इत्यादि मिली। जेब व पर्स में मिले रूपयों के बारे में पूछा गया तो स्वयं के खर्चे के लिए घर से लाना बताया। आरोपी का जवाब संतोशप्रद होने पर रूपये पर्स, बैग सहित इत्यादि सामान आरोपी को वापस लौटाये गये। आरोपी के पहने हुए कपड़ों, बैग, पर्स के अलावा अन्य कोई संदिग्ध वस्तु इत्यादी नहीं मिली। आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना उसके बताये अनुसार श्री विक्रम टांक भू-जल वैज्ञानिक कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी वृत झालावाड़ मो.न. को दी गयी। उक्त कार्यवाही की फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। दिनांक 09.01.2026 समय 05.00 पीएम पर परिवादी श्री रामचन्द्र धिमान व आरोपी श्री विष्णु चन्द गोयल अधीक्षण अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग वृत झालावाड़ के मध्य रिश्वत की मांग से संबंधित वार्तालाप दिनांक 07.01.2026 को हुई थी, जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप दिनांक 09.01.2026 को समय 08.30 एएम पर तैयार की गई थी तथा दिनांक 09.01.2026 को रिश्वत के रूप में एक मोबाईल आईफोन एक्स आर

एप्पल कम्पनी का आरोपी द्वारा प्राप्त करने के दौरान परिवादी श्री रामचन्द्र धिमान व आरोपी श्री विष्णु चन्द गोयल के मध्य परस्पर वार्ता हुई थी जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट लेनदेन वार्ता दिनांक 09.01.2026 को समय 02.30 पी.एम. पर तैयार की गई थी। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर IC RECORDER ICD-UX523F SONY CORP. BATT 1.5VX1 LR03 SIZE AAA :: 5V MADE IN CHINA HECHO EN CHINA के फोल्डर 02 में फाईल नं. 01 में सेव होना पाई गई थी तथा रिश्वत में मोबाईल आईफोन लेनदेन वार्ता कार्यालय के सोनी कम्पनी डीवीआर मय मेमोरी कार्ड (Sandisk ultra micro @A1 SD HC1 16 GB) में रिकॉर्ड किया गया था। उक्त दोनो वार्ताओ को पृथक-पृथक कार्यालय के लेपटॉप में लगाकर मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 के द्वारा लेपटॉप में बारी-बारी पेनड्राईव लगाकर चार क्लोनिंग पेनड्राईव तैयार करवाये गये। चारों पेनड्राईव व डिजिटल वाईस रिकॉर्डर IC RECORDER ICD-UX523F SONY CORP. BATT 1.5VX1 LR03 SIZE AAA :: 5V MADE IN CHINA HECHO EN CHINA व मेमोरी कार्ड (Sandisk ultra micro @A1 SD HC1 16 GB) की हेस वेल्यू निकाली गई तो समान पायी गयी। तैयार शुदा चारों पेनड्राईव में से एक पेनड्राईव आरोपी श्री विष्णु चन्द गोयल के लिये, एक पेनड्राईव नमूना आवाज हेतु तथा एक पेनड्राईव माननीय न्यायालय हेतु कपडे़ की थेली में अलग-अलग रखकर तीनों पेनड्राईव को सील मोहर किये गये तथा एक पेनड्राईव अनुसंधान अधिकारी हेतु तैयार कर खुला रखा गया तथा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर IC RECORDER ICD-UX523F SONY CORP. BATT 1.5VX1 LR03 SIZE AAA :: 5V MADE IN CHINA HECHO EN CHINA में रेकार्डेड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 07.01.2026 जो फोल्डर 02 में फाईल नं. 01 में सेव थी उक्त डीवीआर को एक कपडे़ की थैली में रखकर माननीय न्यायालय हेतु सील मोहर किया गया तथा रिश्वत के रूप में मोबाईल आईफोन लेनदेन वार्ता दिनांक 09.01.2026 जो डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड (Sandisk ultra micro @A1 SD HC1 16 GB) में रिकॉर्ड की गई थी, उक्त डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से मेमोरी कार्ड को निकालकर वजह सबूत माननीय न्यायालय हेतु पृथक से एक कपड़े की थेली में रखकर शिल्डचिट किया गया तथा फर्द बरामदगी एक मोबाईल आईफोन एवं हाथ धुलाई के दौरान श्री शिवराज कानि 166 द्वारा सरकारी मोबाईल से वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई गई थी, मोबाईल को लेपटाप में जोड़कर दो पेनड्राईव तैयार करवाये गये, जिसमें से एक माननीय न्यायालय के लिये व एक अनुसंधान अधिकारी हेतु कपडे़ की थेली में अलग-अलग रखकर सील मोहर किया गया। तत्पष्चात् खाना तलाशी के दौरान श्री शिवराज कानि 166 द्वारा सरकारी मोबाईल से वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई गई थी, मोबाईल को लेपटाप में जोड़कर दो पेनड्राईव तैयार करवाये गये, जिसमें से एक माननीय न्यायालय के लिये व एक कार्यालय हेतु कपडे़ की थेली में अलग-अलग रखकर सील मोहर किया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द पेनड्राईव क्लोनिंग एवं जब्ती डीवीआर एवं मैमोरी कार्ड पृथक से तैयार करवाकर शिल्ड शुदा पेनड्राईव, डीवीआर व मेमोरी कार्ड तथा फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर फर्द को शामिल पत्रावली की गयी। दिनांक 09.01.2026 समय 05.30 पीएम पर ट्रेप कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक, दोनो स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री रामचन्द्र धिमान, गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री विष्णु चन्द गोयल, मय एसीबी जाब्ता के जब्त शुदा रिश्वत के रूप में बरामद शुदा मोबाईल आईफोन, धोवन के सेम्पल, आर्टिकल्स इत्यादी मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप प्रिन्टर के जरिये सरकारी व प्राईवेट वाहनों से श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया के निर्देश न में एसीबी चौकी झालावाड़ के लिये रवाना हुआ। समय 05.45 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान, ब्यूरो स्टाफ मय गिरफ्तार शुदा आरोपी व साथ लाये सरकारी व प्राईवेट वाहनों से श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया के निर्देश न में ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ पहुचा। ट्रेप कार्यवाही के दौरान मौके से बरामद शुदा मोबाईल आईफोन एक्स आर एप्पल कम्पनी मय लिफाफा तथा धोवन के सैम्पल, आर्टिकल्स इत्यादि मालखाना प्रभारी श्री गोपाल लाल सउनि को सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर में इंद्राज करवाकर सुरक्षित मालखाना जमा करवाये गये। स्वतंत्र गवाहान व परिवादी को रूखसत किया गया।सम्पूर्ण कार्यवाही व हालात से पाया गया कि दिनांक 05.01.2026 को परिवादी श्री रामचन्द्र धिमान पुत्र श्री छेदीलाल जाति धिमान निवासी संजय कॉलोनी वार्ड नं. 16 झालावाड़ जिला झालावाड़ (राज0) मो.न. ने ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ में उपस्थित होकर एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र इस आषय का पेश किया था कि "प्रार्थी का जलदाय विभाग खण्ड झालावाड़ में हैंडपम्प रिपेयरिंग और लैबर सप्लाई और पाईप लाईन लीकेज रिपेयरिंग का कार्य किये जा रहे है। मैं मां विंध्यावासनी फर्म का प्रोपराईटर हूं। पूर्व में मेरे द्वारा लेबर व हैंण्डपम्प के बिल फर्जी बनवाने का आरोप लगाकर एस ई साहब ने मुझे धमकाया। मुझसे पच्चीस हजार रूपये अगस्त में भी ले लिए। मेरे काम में गलतियां निकालकर डी.बार करने की व काम से हटाने की धमकी देता है। इसके लिए मेरे भाईसाहब व पार्टनर गुलाब को एस ई साहब ने फोन करके मुझे मिलने के लिए बुलाया। पिछले छः माह से मुझसे आईफोन की मांग कर रहा है। मैं विष्णु गोयल जी से मिला तो उन्होने प्रार्थी से कहा आपका बिल पास तो हो जायेगा लेकिन आपको मुझे आईफोन 16 प्रो देना ही पडे़गा। प्रार्थी ने एस ई साहब विष्णु चन्द गोयल से निवेदन किया कि सर यह फोन तो लगभग एक लाख पचास हजार का आता है। मैं कहां से लाउंगा और मेरा कार्य भी ईमानदारी का है, और कोई गलती भी नही है, तो उन्होने कहां कि यह तो आपको देना ही पडे़गा, यह तो सभी करते है, अगर बिल पास कराने है और आगे काम करना है तो। फिर मैनें डर के मारे उनसे कहां कि साहब करता हूं। इस प्रकार जलदाय विभाग एस ई साहब विष्णु चन्द गोयल जी को मेरे जायज काम के लिए

के लिए आईफोन 16 प्रो, जो कि लगभग एक लाख पच्चास हजार रूपये का रिश्वत में नही देना चाहता हूं। उन्हे रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं। मेरी एस ई साहब विष्णु चन्द गोयल से कोई रंजिश नही है, ना ही कोई लेनदेन बकाया है। मेरी रिपोर्ट पर कार्यवाही करे।"प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र पर दिनांक 07.01.2026 को रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया तो आरोपी श्री विष्णु चन्द गोयल अधीक्षण अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग वृत झालावाड़ द्वारा परिवादी से रिश्वत के रूप में मोबाईल आईफोन 16 या 17 प्रो की मांग करना व मोबाईल आईफोन का क्रय बिल अपने नाम से बनवाने के लिए कहना तथा दिनांक 09.01.2026 तक मोबाईल आईफोन देने की पुश्टि होना पाया गया ।इस पर दिनांक 09.01.2026 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया जाकर आरोपी श्री विष्णु चन्द गोयल अधीक्षण अभियन्ता को उसके चैम्बर में परिवादी से रिश्वत के रूप में एक मोबाईल आईफोन एक्स आर मय बिल के प्राप्त करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। रिश्वत के रूप में लिया गया मोबाईल आईफोन एक्स आर आरोपी के चैम्बर में स्थित टेबल की दराज से बरामद किया गया। आरोपी के दोनों हाथों का धोवन मटमैला व टेबल की दराज का धोवन गुलाबी प्राप्त हुआ। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 07.01.2026, रिश्वत के रूप में मोबाईल आईफोन लेनदेन वार्ता दिनांक 09.01.2026, फर्द बरामदगी दिनांक 09.01.2026 व उपरोक्त कार्यवाही से आरोपी के विरूद्ध जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रमाणित पाया जाने पर नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।अतः आरोपी श्री विष्णु चन्द गोयल पुत्र श्री प्यारेलाल गोयल उम्र 57 वर्ष जाति महाजन निवासी 83बी, शास्त्री नगर दादाबाड़ी कोटा हाल अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग वृत झालावाड के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रमाणित होना पाया जाने पर उक्त आरोपी के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेषक सी0पी0एस0 भ्रनिब्यूरो जयपुर को सादर प्रेशित है।भवदीय(साजिद खान)पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो झालावाड़............कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री साजिद खान, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री विष्णु चन्द गोयल पुत्र श्री प्यारेलाल गोयल, उम्र 57 वर्ष, जाति महाजन, निवासी 83बी, शास्त्री नगर, दादाबाड़ी, कोटा हाल अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वृत झालावाड के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री मुकुल शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. कोटा को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 195 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर । क्रमांक 66-69 दिनांक 12.01.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा 2- शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान जयपुर 3- उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** MUKUL SHARMA **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,I
Date: 1 1/2026 1 3

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

**Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))**

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1969				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गुदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)